उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या–440 /सेक–2–पॉच–18–1(5)/2016
लखनऊ :: दिनांक 26 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के लेवल–3 के चिकित्साधिकारियों को लेवल–4 संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रूपये 37400–67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 14.12.2016 को विभागीय चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई थी।

2– विभागीय चयन समिति की बैठक के समय डा0 गीतम सिंह (वरि0क0–10051 ख–1) के विरूद्ध चिकित्सा अनुभाग–3 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3620/चि–3–16–1574/2016 दिनांक 05.12.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनकी संस्तुति "बन्द लिफाफे" में रखी गयी है। उक्त विभागीय कार्यवाही को कार्यालय–ज्ञाप संख्या–2165/चि–3–17–1574/2016 दिनांक 14.12.2017 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी है।

3– अतः डा0 गीतम सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही बिना किसी दण्ड के समाप्त होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी बन्द लिफाफा खोलते हुए चयन समिति की संस्तुति के अनुसार डा0 गीतम सिंह (वरि0क0–10051 ख–1) को उनके आसन्न कनिष्ठ डा0 आदित्य प्रकाश आर्या (वरि0क0–10051घ) व अन्य की संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 20.01.2017 से लेवल–4 संयुक्त निदेशक (वेतनमान रूपये 37400–67000 ग्रेड पे 8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– डा0 गीतम सिंह की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

पी0 लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या–440(1)/सेक–2–पॉच–17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
5– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कानपुर मण्डल, कानपुर।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज।
7– कोषाधिकारी, कन्नौज।
8– सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करें।
9– चिकित्सा अनुभाग–3।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।